जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

A3

मुन्तकिली प्रकरण सं0 91/2016 अनवानी सुखजीत कौर उर्फ अरदास कौर पुत्री चंद सिंह जाति जटसिख साकिन 11ए कोशिक धर्मकांटा के पीछे हनुमानगढ जंक्शन बनाम 1–उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर 2–चन्दसिंह पुत्र मंगल सिंह जाति जटसिख साकिन 11ए कोशिक धर्मकांटा के पीछे हनुमानगढ जंक्शन 3–रणजीतसिंह 4–गुरजीत सिंह

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.02.2017

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थीया के अभिभाषक श्री अमित स्वामी उपस्थित है, उन्हें सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीया द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर में लम्बित वाद संख्या 171/2016 अनवानी सुखजीत कौर बनाम चन्दसिंह व अन्य धारा 88, 91, 188, 92ए आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये है और नये उपखण्ड अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

431
21/02/17

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर